134

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 269–दो/2004 – विरूद्ध आदेश दिनांक 20–11–2003 – पारित – द्वारा – आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर – प्रकरण कमांक 173–2001–02 निगरानी

जगराम सिंह पुत्र पंचम सिंह
ग्राम मोहरी सोनेरा
तत्का.तहसील अशोकनगर
जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी)
(शासन की ओर से पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 18 – 7 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 173/2001–02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20–11–2003 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने तहसीलदार अशोकनगर को आवेदन देकर मांग की कि ग्राम मोहरी सोर्नेरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 229/3 ख मि. रकबा 0.717 है. (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पर उसका कब्जा

चला आ रहा है इसलिये म0प्र0 कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना अधिनियम 1984 के अंतर्गत भूमि का पटटा प्रदान किया जाय। तहसीलदार अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 239 अ-19/93-94 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 5-10-94 से वादग्रस्त भूमि का पटटा प्रदान किया। भूमि बन्टन की शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर कार्यालय गुना के शिकायत शाखा के डिप्टी कलेक्टर व्दारा जॉच प्रतिवेदन अपर कलेक्टर अशोकनगर को प्रेषित किया, जिस पर से अपर कलेक्टर अशोकनगर ने आवेदक के विरूद्ध स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 226/99-2000 पंजीबद्ध किया तथा आवेदक की सुनवाई कर आदेश दिनांक 13-11-2001 पारित किया एंव तहसीलदार के आदेश दिनांक 5-10-94 को निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 173/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20-11-2003 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने, निगरानी मेमो में अंकित आधारों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि म0प्र0 कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना अधिनियम 1984 के अंतर्गत निर्मित नियम 3 में प्रावधान किया गया है कि ऐसे

भूमिहीन कृषि श्रमिक को, जिनका कृषि करने वाली भूमि पर 2 अक्टूवर 1984 को कब्जा हो, दो हैक्टर से अधिक ऐसी भूमि के लिये भूमिस्वामी अधिकार प्रदान नहीं किया जायेगा। विचाराधीन प्रकरण में आवेदक 2-10-1984 को भूमिहीन नहीं है क्यों उसके स्वयं् के नाम पूर्व से ही 4.473 हैक्टर भूमि रही है जिसके कारण तहसीलदार अशोकनगर ने आदेश दिनांक 5-10-94 से अपात्र व्यक्ति के हित में भूमि का आवंटन किया है और इन्हीं कारणों से प्रकरण कमांक 226/99-2000 में पारित आदेश दिनांक 13-11-2001 से अपर कलेक्टर अशोकनगर ने तहसीलदार के त्रृटिपूर्ण आदेश को निरस्त किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 173/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20-11-2003 में अपर कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 173/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20-11-2003 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतएव निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर